केसर देवी - रामकरण अ.न. 71/19

दिनांक	आज्ञा पत्र	
23.9.24	पत्रावली प्रस्तुत अधिवक्ता संघ के आह्वान पर न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 1.10.24 को पेश हो।	
1.10.24	पत्रावली पेश। बहस अपील सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 15.10.24 को पेश हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
15/10/24	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 71/2019

1 केशर देवी पत्नी श्री सुल्तान सिंह उम्र 40 साल जाति जाट निवासी मीलों की ढाणी तन मीरण तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.। मो.नं. 8696461080

अपीलांट

बनाम

1 रामकरण पुत्र श्री तुलछाराम
2 गणपतराम पुत्र श्री पेमाराम समस्त जाति जाट निवासीगण मीलों की ढाणी तन मीरण तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।
3 अर्जुन सिंह पुत्र श्री मूलसिंह जाति राजपूत निवासी मीरण तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।
4 बिमला देवी पत्नी श्री भागीरथमल, जाति जाट निवासी मीलों की ढाणी तन मीरण तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा दिनांकित 29.08.2019
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़
सीकर बउनवानी प्रार्थना पत्र रामकरण
बनाम गणपतराम आदि मुकदमा नम्बर
04/2014

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री भंवरलाल बिजारणियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रामस्वरूप कुड़ी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांक:— 15.10.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 04/2014 में पारित निर्णय दिनांक 29.08.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने प्रार्थना पत्र धारा 251 ए बाबत भूमि खसरा नम्बर 212/3 वाके ग्राम मीरण तहसील लक्ष्मणगढ़ का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आज्ञा दिनांक 29.08.2019 तथ्य एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है आज्ञा दिनांक 29.08.2019 पारित करने से पूर्व विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थीया/अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का सुचित अवसर प्रदान नहीं करके भी भारी कानून भूल की है। प्रार्थीया/अपीलान्ट द्वारा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 17.10.2010 पर आपत्ति प्रार्थना पत्र दिनांक 20.08.2019 को प्रस्तुत किया गया, जिस पर विचारण न्यायालय ने बिना रेस्पोडेनट संख्या 1 का जवाब आपत्ति प्राप्त किये ही प्रिज्यूडिस होकर, बिना किसी तरह का स्पीकिंग आदेश पारित किये ही पत्रावली का अन्तिम निस्तारण कर आज्ञा दिनांक 29.08.2019 पारित कर दी, जो कानूनन कतई स्थिर रहने योग्य नहीं होने से

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

निरस्त होने योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थीया/अपीलान्ट को साक्ष्य सबुत प्रस्तुत करने का सुचित अवसर नहीं देकर भी अपीलान्ट के न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों की अवहेलना की है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र एवं आपत्ति तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 17.10.2010 का समुचित रूप से अध्ययन नहीं करके केवल मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट को आधार मानकर मनमाने आधारों पर आलौच्य आज्ञा दिनांक 29.08.2019 को पारित की है। विचारण न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आपत्ति रिपोर्ट तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ दिनांक 17.10.2010 को सर्वप्रथम निस्तारित की जानी चाहिये थी परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा बिना किसी आधारों पर गलत रूप से विधि के विपरित जाकर आलौच्य आज्ञा दिनांक 29.08.2019 पारित की है। जो कानूनन खारिज होने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ द्वारा प्रस्तुत मय रिपोर्ट भू.अ.नि. सुठोठ में दर्ज किया कि ग्राम मीरण के पुराना खसरा नम्बर 212/3 जिसके नये खसरा नम्बर 6 रकबा 2.43 है. में खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार मनोहरी देवी पत्नी तुलछाराम भंवरसिंह रामकरण मदनलाल पि. तुलछाराम भागीरथी पूरणी पुत्रियां तुलछाराम जाति जाट सा.देह के नाम से दर्ज है। खसरा नम्बर 6 में आने जाने के लिए नजदीकी रास्ता खसरा नम्बर 176 एवं 177 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे उपयुक्त रहेगा। खसरा नम्बर 176 रकबा 0.54 है. की खातेदारी अर्जुनसिंह पुत्र मूलसिंह जाति राजपूत सा.देह तथा खसरा नम्बर 177 रकबा 1.90 है. की खातेदारी केशरदेवी पत्नी सुल्तानसिंह हि. 1/2 विमला देवी पत्नी भागीरथमल हि. 1/2 जाति जाट सा.देह के नाम से दर्ज है। खसरा नम्बर 6 में आने–जाने के लिए खसरा नम्बर 176 में से 0.02 है. रकबा तथा खसरा नम्बर 177 में से 0.08 है. रकबा रास्ते के लिए प्रयोग में आयेगा। नक्शा ट्रेस की सत्यप्रति जिसमें प्रस्तावित रास्ता लाल स्याही से डोटेड कर संलग्न पेश हुआ

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिका
सीकर

है। विचारण न्यायालय में इसके अतिरिक्त वैकल्पिक रास्ता होने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय ने आपत्ति पर उभयपक्ष को सुनकर विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.08.2019 पारित करने से पूर्व विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थीया/अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है। प्रार्थीया/अपीलान्ट द्वारा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 17.10.2010 पर आपत्ति प्रार्थना पत्र दिनांक 20.08.2019 को प्रस्तुत किया गया, जिस पर विचारण न्यायालय ने बिना रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का जवाब आपत्ति प्राप्त किये ही पत्रावली का अन्तिम निस्तारण कर आज्ञा दिनांक 29.08.2019 पारित कर दी जो विधि सम्मत नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थीया/अपीलान्ट को साक्ष्य सबुत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं देकर भी न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों की अवहेलना की है। विचारण न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आपत्ति रिपोर्ट तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ दिनांक 17.10.2010 को सर्वप्रथम निस्तारित की जानी चाहिये थी परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा आपत्ति निस्तारण किये बिना विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार कर लिया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर आपत्ति का निस्तारण कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.11.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 15.10.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर